भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 2781
दिनांक 12 अगस्त, 2026 के लिए उत्तर

राष्ट्रीय पशुधन मिशन का डिजिटलीकरण

2781. श्री सुभाष बरालाः

श्रीमती साधना सिंहः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत पशुधन पोर्टल पर 'पशु आधार' 12-अंकीय विशिष्ट पहचान प्रणाली के अंतर्गत अब तक पंजीकृत पशुधन की कुल संख्या कितनी है;

(ख) राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी) के अंतर्गत कितने हितधारकों को डिजिटल पहचान प्रदान की गई है तथा यह ऋण और बीमा तक पहुंच को किस प्रकार सुगम बना रहा है;

(ग) इस डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत अब तक पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों से संबंधित स्वीकृत किए गए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(घ) देश भर में पशु आधार-संबद्ध स्वास्थ्य, प्रजनन और उत्पादकता अभिलेखों को पशु चिकित्सा सेवा वितरण और रोग निगरानी प्रणालियों के साथ एकीकृत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) आज की तारीख तक, भारत पशुधन पोर्टल पर 12 अंकों की विशिष्ट पहचान प्रणाली, 'पशु आधार' के अंतर्गत पंजीकृत पशुधन की संख्या 39.23 करोड़ है।

(ख) आज की तारीख तक, 35.85 लााख मछुआरे, मत्स्यपालक, मछली विक्रेता और अन्य हितधारक राष्ट्रीय मत्स्यपालन डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) पर पंजीकृत हैं। NFDP, पंजीकृत हितधारकों के लिए क्रेडिट और बीमा तक पहुंच को किस प्रकार आसान बनाता है, इसका विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) इन डिजिटल इकोसिस्टम, अर्थात् पशुपालन के लिए 'भारत पशुधन' और मत्स्यपालन के लिए NFDP के अंतर्गत KCC आवेदनों पर कार्यवाही का कोई प्रावधान नहीं है। बैंक अपने कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम के माध्यम से KCC आवेदनों पर कार्यवाही करते हैं तथा उन्हें अनुमोदित करते हैं।

(घ) सरकार ने प्रौद्योगिकी आधारित और किसान केंद्रित डिजिटल इकोसिस्टम- भारत पशुधन की शुरुआत की है। यह प्रत्येक पंजीकृत पशु को 12-अंकों वाला विशिष्ट बारकोडेड ईयर टैग देता है, जिससे प्रजनन, स्वास्थ्य, स्वामित्व और उत्पादकता संबंधी जानकारी का पता लगाया जा सकता है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल और वेब एप्लीकेशन के माध्यम से, फील्ड वर्कर पशु पंजीकरण, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, रोग की रिपोर्टिंग, ई-प्रिस्क्रिप्शन, राशन संतुलन और दूध रिकॉर्डिंग जैसे कार्यकलापों को दर्ज करते हैं। आज की तारीख तक, राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (NAIP) के अंतर्गत 17.27 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान दर्ज किए गए हैं, जिनमें 10.51 करोड़ पशु शामिल हैं और 5.98 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म उच्च आनुवंशिक गुणता वाले बोवाइनों के चयन में सहायता के लिए, आनुवंशिक सुधार कार्यक्रमों के दूध उत्पादकता संबंधी डेटा भी स्टोर करता है। इसके अलावा, 1962 मोबाइल ऐप किसानों को उसी विशिष्ट पशु ID का इस्तेमाल करके पशुओं से जुड़ी सही जानकारी और सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है।

अनुबंध– I

श्री सुभाष बराला और श्रीमती साधना सिंह द्वारा पूछा गया दिनांक 12.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2781 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का मत्स्यपालन विभाग, मौजूदा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की नई उप-योजना प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) कार्यान्वित कर रहा है। इसे वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक चार वर्ष की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ शुरू किया गया है।

PM-MKSSY के अंतर्गत दिनांक 11.09.2024 को राष्ट्रीय मत्स्यपालन डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) की शुरुआत की गई। NFDP का उद्देश्य कार्य-आधारित डिजिटल पहचान और मत्स्यपालन क्षेत्र के सभी हितधारकों के लिए डेटाबेस तैयार करके भारतीय मत्स्यपालन और जलकृषि क्षेत्र को औपचारिक रूप देना है। यह संस्थागत ऋण तक पहुंच स्थापित करने, मत्स्यपालन सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण करने, जलकृषि बीमा को बढ़ावा देने, कार्य निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान करने, मत्स्यपालन ट्रेसेबिलिटी सिस्टम और प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के लिए 'वन-स्टॉप' सॉल्यूशन के रूप में भी कार्य करता है। अब तक, 35.85 लाख मछुआरों, मत्स्यपालकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को NFDP पर पंजीकृत किया गया है।

वित्तीय और तकनीकी सहायता सहित PM-MKSSY के अंतर्गत मिलने वाले लाभों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु, इच्छुक लाभार्थियों के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन बनाई गई है।

PM-MKSSY अपने घटक 1-क के अंतर्गत मछुआरों, मत्स्यपालकों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं, सूक्ष्म और लघु उद्यमों आदि के लिए संस्थागत ऋण तक पहुंच बढ़ाने की सुविधा देता है। NFDP के अंतर्गत 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों को शामिल किया गया है। NFDP के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को बैंकों को भेजा जाता है। बैंक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे आवश्यक कार्रवाई करते हैं। सफल ऋणों के लिए पात्र लाभार्थी को 5,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, PM-MKSSY अपने घटक 1-ख के अंतर्गत किसानों द्वारा जलकृषि बीमा खरीदने पर एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान करता देता है। जलकृषि बीमा के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन, भुगतान किए गए प्रीमियम का 40% होता है, जिसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर या 4 हेक्टेयर जल विस्तार क्षेत्र (WSA) के लिए प्रति किसान 1 लाख रुपए है। फार्म, केज कल्चर, RAS, बायो-फ्लॉक और रेसवे जैसी गहन (intensive) सिस्टम वाली जलकृषि प्रणाली के लिए, जलकृषि बीमा उपलब्ध कराया जाता है। यह भुगतान किए गए प्रीमियम के 40% की दर से उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा गहन जलकृषि सिस्टम हेतु 1800 m3 के लिए प्रति किसान 1 लाख रुपए है। इसके अलावा, SC/ST और महिला लाभार्थियों को 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
